संख्या– /08–XXVI/2004

प्रेषक,

अमरेन्द्र सिन्हा,
सचिव,
उत्तरांचल शासन ।

सेवा में,

निदेशक,
अर्थ एवं संख्या विभाग,
उत्तरांचल, देहरादून।

नियोजन अनुभाग।

देहरादून: दिनांक 07 दिसम्बर, 2004

विषय:– अर्थ एवं संख्या विभाग के अंतर्गत पंचम आर्थिक गणना– 2004–05 को सम्पादित किये जाने हेतु नई मांग (2004–05) के माध्यम से पदों का सृजन के संबंध में ।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या–63/भा0स0/08–XXVI/2004 दिनांक 27 नवम्बर, 2004 के द्वारा पंचम आर्थिक गणना 2004–05 हेतु कुल 08 पदों का सृजन किया गया था । इस संदर्भ में केन्द्रीय सांख्यिकी तथा कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली के पत्र संख्या–11015/7–6/2004 ईसीडी (स्टेट/यूजीज) दिनांक 16 नवम्बर, 2004 के संदर्भ में आपके पत्रांक– 1980/आ0ग0/2004–05 दिनांक 04 दिसम्बर, 2004 के अनुक्रम में उक्त शासनादेश दिनांक 27 नवम्बर, 2004 को एतद्द्वारा निरस्त करते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि महामहिम श्री राज्यपाल पंचम आर्थिक गणना–2004–05 के अंतर्गत राज्य का सर्वेक्षण/संगनना का कार्य सम्पादित किये जाने हेतु अर्थ एवं संख्या विभाग के अन्तार्गत पृथक से निम्न विवरणानुसार अस्थाई पदों को उनके सम्मुख अंकित वेतनमान में इस आदेश के निर्गत होने अथवा नियुक्ति की तिथि, जो भी बाद में हो, से दिनांक 28 फरवरी, 2005 तक बशर्ते कि ये इससे पूर्व बिना किसी पूर्व सूचना के इससे पूर्व ही समाप्त न कर दिये जायं, सृजित किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं–

क्र0सं0	पदनाम	पदों की संख्या	वेतनमान (रुपयों में)
1	सहायक निदेशक	1	8000–13500
2	सहायक अर्थ एवं संख्याधिकारी	2	5000–8000
3	कनिष्ठ सहायक	1	3050–4590
	कुल योग– (चार मात्र)	4	..

2– उक्त पदों पर वेतन के अलावा शासन द्वारा समय–समय पर प्रसारित आदेशों के अनुसार अनुमन्य महंगाई व अन्य भत्ते आदि भी देय होंगे।

3– उक्त पदों पर नियुक्ति आवश्यकतानुसार जब भारत सरकार से धनराशि प्राप्त होकर राज्य सरकार से धनराशि आवंटित कर दी जाय तब ही की जाय।

4– उक्त पदों में से सहायक निदेशक, अर्थ एवं संख्याधिकारी तथा सहायक संख्याधिकारी के पदों पर नियुक्ति विभाग की संगत सेवानियमावली के प्राविधानों के अनुसार उपलब्ध कार्मिकों की ज्येष्ठता के आधार पर पदोन्नति अथवा प्रतिनियुक्ति एवं वाह्य स्रोत के माध्यम से तथा आशुलिपिक एवं कनिष्ठ सहायक पर नियुक्ति संगत सेवा नियमावली के प्राविधानों के अनुसार अथवा प्रतिनियुक्ति/सेवास्थानातरण

के आधार पर की जायेगी, परन्तु पदों पर नियुक्ति के लिए शासन की पूर्वानुमति अवश्य प्राप्त की जायेगी बिना शासन की अनुमति के उक्त पदों पर की गयी नियुक्ति अनियमित मानी जायेगी ।

5- उक्त योजना वर्ष 2004-05 एवं 2005-06 (दो वर्ष) के लिए स्वीकृत की जा रही है।

6- इस संबंध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2004-05 के आय-व्ययक की अनुदान संख्या-07 के अन्तर्गत लेखा शीर्षक-3454-जनगणना सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी-02-सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी-आयोजनागत-800-अन्य व्यय-01-केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनायें-0101-अर्थ एवं संख्या विभाग का पंचम आर्थिक गणना का क्रियान्वयन (अधिष्ठान) (100 प्रतिशत केन्द्रांश) की पुरांगत आवश्यक इकाईयों के नामे डाला जायेगा।

7- यह स्वीकृति वित्त विभाग के अशासकीय संख्या-24/वि0अनु0-3/2004 दिनांक 17 जनवरी, 2005 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(अमरेन्द्र सिन्हा)
सचिव।

संख्या- 637 (1)/08-XXVI/2004 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- महालेखाकार, उत्तरांचल, ओबराय मोटर्स बिल्डिंग, सहारनपुर रोड, देहरादून।
2- जरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून ।
3- श्री योगेन्द्र सिंह, निदेशक,केन्द्रीय सांख्यिकी संगठन,सांख्यिकी तथा कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय,आईएस डिवीजन,नवां तल,जीवन प्रकाश बिल्डिंग, 25 के.जी.मार्ग, नई दिल्ली को उनके पत्र संख्या-11015/7-6/2004- ईसीडी(राज्य/संघीय क्षेत्र) दिनांक 16 नवम्बर, 2004 के क्रम में ।
5- सदाफ आफिसर, मुख्य सचिव, उत्तरांचल शासन।
6- निदेशक, कोषागार, उत्तरांचल, देहरादून।
7- वित्त अनुभाग-3, उत्तरांचल शासन।
8- समन्वयक,एनआईसी,सचिवालय परिसर, देहरादून ।
9- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(टीकम सिंह पंवार)
संयुक्त सचिव।